

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र तैयार करने वाले प्रकाश में 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंद्र के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 006/26 धारा 61(2), 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बनाम राजवीर आदि पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. रामवीर पुत्र सुक्खी निवासी ग्राम बल्लू बेहटा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. अरविन्द पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम मलू नगला कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।
3. अन्नू उर्फ राजवीर पुत्र रामसिंह निवासी खानआलमपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी मुकदमा श्री शिववीर सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी ग्राम बेहटा बल्लू कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिये गये प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस बाबत अभियुक्तों द्वारा मृतका के स्थान पर अन्य व्यक्ति को विक्रेता बनाकर फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र तैयार करना व शिकायत करने पर प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 0006/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/119 (2)/352/351(3)/115(2) बीएनएस बनाम राजवीर आदि 07 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश में 03 अभियुक्त 1.रामवीर पुत्र सुक़्खी निवासी ग्राम बल्लू बेहटा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ 2.अरविन्द पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम मलू नगला कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ 3.अन्नू उर्फ राजवीर पुत्र रामसिंह निवासी खानआलमपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपने जुर्म माफी मांगे हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त रामवीर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. मु०अ०सं० 006/26/25 धारा 361(2),319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. मु०अ०सं० 006/26/25 धारा 361(2),319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अन्नू उर्फ राजवीर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01.मु०अ०सं० 006/26/25 धारा 361(2),319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री विनोद कुमार शुक्ल
2. उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह
3. का० विकाश बाबू
4. रि०का० चन्द्रेश कुमार
5. रि०का० जितेन्द्र कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।